अध्याय – XI:

निष्कर्ष

आपदा सामान्य जीवन के विघटन का कारण बनती है। इसका परिणाम अवसंरचना, आबादी तथा सरकारी सुविधाओं की पर्याप्त हानि में भी हो सकता है। देश में आपदाओं की बारंबारता तथा इसके प्रभाव में, दुर्घटनाओं तथा हानियों के मामले में विशिष्ट वृद्धि हुई है। प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त, मानव निर्मित आपदाओं की संभावना बढ़ते शहरीकरण तथा विकास के साथ बहुविध बढ़ रही है। आपदा तैयारियों के महत्व को, मुख्यतः आपदा शमन तथा बचाव प्रयासों को, ऐसी परिस्थिति में अत्युक्तिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के आधार पर, हमने यह सुनिश्चित किया है कि देश में आपदा तैयारियों तथा आपदा जोखिम को घटाने की आवश्यकता के संबंध में जागरूकता बढ़ी थी। राष्ट्र-स्तरीय विधान ने एक बहु-स्तरीय सांस्थानिक गठन की स्थापना की थी। प्रतिक्रिया संबंधित कार्य हेतु निधीयन प्रबंध स्पष्ट रूप से निर्धारित था। विशिष्ट आपदाओं के प्रबंधन हेतु नोडल अभिकरणों तथा विभागों को निर्धारित किया गया था। राज्य स्तर पर समयपूर्व चेतावनी तथा संचार प्रणालियों में उल्लेखनीय प्रगति की गई थी।

रा.आ.प्र.प्रा. की अध्यक्षता भारत के प्रधान मंत्री द्वारा की जाती है तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उनकी व्यापक उपस्थिति है। राष्ट्रीय अधिनियम तथा नीति बना ली गयी है। राष्ट्रीय योजना तैयार करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की है। तथापि, आपदा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय नीति को, अधिनियम के लागू होने के छः वर्षों के पश्चात भी अभी अंतिम रूप दिया जाना था। रा.आ.प्र.प्रा. द्वारा निर्मित राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को नोडल अभिकरणों तथा राज्य सरकारों द्वारा अपनाया तथा लागू नहीं किया गया था। शीर्ष निकाय के रूप में, रा.आ.प्र.प्रा. ने अपने दिशानिर्देशों के अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाये थे।

रा.आ.प्र.प्रा. की परियोजना प्रबंधन क्षमताएं त्रुटिपूर्ण थीं। परिणामस्वरूप, इसकी कोई भी शमन तथा संवेदनशील मानचित्रण परियोजना पूरी नहीं हुई थी। इसकी आंतरिक प्रणालियों को भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि व्यवसाय नियमों को अभी अंतिम रूप दिया जाना था तथा श्रमशक्ति मामलों को निपटाया जाना था। रा.आ.प्र.प्रा. द्वारा आपदा तैयारियों को प्रमुख सामाजिक क्षेत्रीय योजनाओं के साथ मुख्यधारा में लाने के महत्वपूर्ण पहलू का आरंभ अभी किया जाना था।

निधि प्रबंधनों से संबंधित कुछ मामलों को गृ.मं. द्वारा सुप्रवाह बनाने की आवश्यकता है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से जिलों को निधियों के प्रेषण में विलम्ब, राज्यों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब तथा प्रतिक्रिया के अतिरिक्त कार्यों हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का प्रदान किया जाना, चिंता के कुछ विषय थे। हमारे विचार से राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर विशिष्ट आपदा शमन निधियों की स्थापना, जैसा कि आ.प्र. अधिनियम में परिकल्पित था, आपदा शमन के उदेश्य की प्राप्ति की तरफ एक सार्थक कदम होगा।

विशिष्ट आपदा पर प्रतिक्रिया संभवतः आपदा तैयारियों के स्तर की सर्वोत्तम परीक्षा है। आपदा प्रतिक्रिया प्रयासों की प्रभावकारिता का निर्धारण करने हेतु हमने उनका निरीक्षण किया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की प्रतिक्रिया हमारी जाँच का एक आवश्यक तत्व था। हमने पाया कि यह अभी तक एक

सुसज्जित, सुप्रशिक्षित विशेषज्ञ बल के रूप में स्थापित नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त, हमने पाया कि इस संबंध में त्रुटियों की, विशेष रूप से उपयुक्त श्रमशक्ति, उपकरण तथा प्रशिक्षण के परिनियोजन के मामलों में, पहचान तथा सुधार नहीं किया गया था। बल मानक संचालन प्रक्रिया को अभी अंतिम रूप दिया जाना तथा राज्यों को संप्रेषित किया जाना अभी शेष है। गैर-आपदा घटनाओं हेतु इस बल के विचलन को रोके जाने की आवश्यकता है। बल में पर्याप्त श्रमशक्ति नहीं थी तथा कमान की कोई एकल शृंखला स्थापित नहीं की गयी थी।

हमने पाया कि भा.मौ.वि., भा.अ.अ.सं. तथा अन्य अभिकरणों ने सुनामी, चक्रवातों आदि हेतु शीघ्र चेतावनी प्रणालियाँ स्थापित की थीं। तथापि, हमने पाया कि मॉनीटरिंग तथा सभी भागीदारों से सामयिक निविष्टियों के अभाव के कारण पणधारियों को डाटा प्रसारित करने से संबंधित अधिकतर परियोजनाएं अभी भी अपूर्ण थीं। कई मामलों में, इन परियोजनाओं हेतु अधिप्राप्त उपकरण असंस्थापित पड़े थे।

हमने मानव निर्मित आपदाओं हेतु तैयारियों में कमियां पायीं। नोडल मंत्रालयों ने अवसंरचनाएं स्थापित की थी परंतु उनकी कार्यप्रणाली को मूल स्तर पर सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता थी। भू-विज्ञान मंत्रालय, आपदा प्रबंधन में अपनी भूमिका से अनभिज्ञ प्रतीत होता है। नाभिकीय तथा विकिरणधर्मी आपदाओं, वनाग्नियों तथा रासायनिक आपदाओं के समग्र प्रलेखन तथा संप्रेषण की अत्यधिक आवश्यकता थी। जैविक आपदाओं के लिए विधान को अद्यतन करने की आवश्यकता है। इन आपदाओं पर प्रभावी नियंत्रण को सुनिश्चित करने हेतु, देश के प्रवेश केन्द्रों पर सतर्कता को और भी सुदृढ़ किए जाने तथा प्रयोगशाला सुविधाओं की भी शीघ्र उन्नयन की आवश्यकता है।

आपदा तैयारियों हेतु पहले ही किए गए प्रयासों को संघटित करने के लिए यह आवश्यक है कि रा.आ.प्र.प्रा. अपने वैधानिक उत्तरदायित्वों का प्रभावी रूप से निर्वाह करे तथा अन्य संस्थाओं की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्धारित, प्रलेखित, प्रसारित तथा मॉनीटर करे।

नई दिल्ली
दिनांकः 15 मार्च 2013

(रॉय मथरानी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांकः 15 मार्च 2013

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक